सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 249 राँची, शुक्रवार, 22 मार्च, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

8 मार्च, 2019

विषय:- आदित्यपुर नगर निगम, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद् एवं कपाली नगर परिषद् अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि रु०135505.28 लाख (एक हज़ार तीन सौ पचपन करोड़ पाँच लाख अट्ठाइस हज़ार) मात्र एवं SBM के केंद्र मद से रु० 2859.64 लाख (अट्ठाईस करोड़ उन्सठ लाख चौसठ हज़ार) मात्र तथा राज्य योजना मद से 20 वर्षों में कुल राशि रु० 27452.19 लाख (दो सौ चौहत्तर करोड़ बावन लाख उन्नीस हजार) मात्र अर्थात कुल रु० 30311.83 लाख (तीन सौ तीन करोड़ ग्यारह लाख तिरासी हजार) मात्र का अनुदान उपलब्ध कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में |

संख्या-SUDA/SBM/SWM/31–2015-1140-- 74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है | अतः नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी शहरी नागरिकों को मौलिक/ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) एक प्रमुख अवयव है |

2. भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक प्रमुख घटक माना गया है | इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थापन करते हुये 2 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य है |

3. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal) द्वारा भी MSW Rule, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा व्यवस्थापन किए जाने हेतु बल दिया जा रहा है |

4. TSP प्रक्षेत्र, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, आदित्यपुर नगर निगम, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद् एवं कपाली नगर परिषद् में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना हेतु कुल उपलब्ध भूमि 30.39 एकड़ होने के उपरांत इसका DPR तैयार कराया गया है | जिसमें door to door collection, transportation, segregation, waste processing तथा scientific sanitary landfilling का प्रस्ताव है | निकायों के legacy waste तथा dumpsite का Bio Remediation भी योजना अंतर्गत Concessionaire द्वारा किया जाना है |

5. इस योजना को लोक-निजी भागीदारी (PPP Mode) पर कार्यान्वयन हेतु तैयार किया गया है | इस योजना का 20 वर्षों में अनुमानित लागत राशि के साथ CAPEX पर आने वाले कुल आय तथा व्यय एवं Fund Flow का विस्तृत विवरण निम्नवत तालिकाओं में दर्ज है |

तालिका - I

Adityapur Solid Waste Management - Fund Requirement		
S. No.	**Particular**	**Amount in Lakh**
1	**Total Project Cost (1.1+1.2+1.3)**	**135505.28**
1.1	Capital Cost (CAPEX)	7863.67
1.2	O & M Cost for 20 Yrs.	126805.02
1.3	Other Expenses	836.59
2	**Other Expenses (2.1+2.2+2.3)**	**836.59**
2.1	DPR Preparation Cost @ 2.6% (*excluding closure & capping*)	200.11
2.2	PMC Charges **3.01%**	231.66
2.3	JUIDCO Charges @ 7% up to 10 Cr. and 5% up more than 10 Cr.	404.82
3	**Total Income (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6)**	**86853.90**
3.1	by User Charges in O&M	52216.81
3.2	by Sale of Compost in O&M	8506.41
3.3	by Sale of Recyclable in O&M	7423.55
3.4	by Scrap Sale in O&M	288.51
3.5	by Scrap Sale in RDF	15466.05
3.6	by Sale of product from C&D waste	2952.57
4	**ULB Share @ 40%**	**15980.45**
5	**Central Share (5.1+5.2)**	**2859.64**
5.1	Central Share for DPR preparation @ Rs 12 per capita	107.36
5.2	Central Share in CAPEX @ 35% of it	2752.28
6	**Investment of PPP Operator**	**2359.10**
	Investment by private partner in CAPEX @ 30% (PPP mode)	2359.10
7	**Total Grant Required from State (7.1+7.2+7.3)**	**27452.19**
7.1	In CAPEX	2752.28
7.2	In O&M in 20 years	23970.67
7.3	In Other	729.23

तालिका – II

Fund Flow		
S. No.	**Particulars**	**Amount in Lakhs**
1	Total Project Cost	**135505.28**
2	Income from Project	**86853.90**
3	Fund from PP partner	**2359.10**
4	ULB Share	**15980.45**
5	Central Government Share	**2859.64**
6	Total State Government Share	**27452.19**

6. उपरोक्त DPR पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है |
7. निकाय के पास 30.39 एकड़ भूमि उपलब्ध है एवं 6.51 एकड़ भूमि क्रय किया जाना है, जो योजना हेतु पर्याप्त होगा |
8. Capex मद में PPP पार्टनर द्वारा न्यूनतम 30% राशि अर्थात **रु० 2359.10** लाख **(रु० तेईस करोड़ उन्सठ लाख दस हज़ार)** मात्र का व्यय किया जायेगा| केन्द्रांश से कुल राशि **रु० 2859.64** लाख **(अट्ठाईस करोड़ उन्सठ लाख चौसठ हज़ार)** मात्र SBM योजना के तहत मिशन अवधि, 2 Oct 2019 तक @ 35% CAPEX एवं @ रु०12 प्रति व्यक्ति के अनुसार DPR बनाने हेतु दिया जाना है |
9. इस योजना को DBOT (Design ,Built, Operate &Transfer) mode पर किए जाने का प्रस्ताव है|
10. आदित्यपुर नगर निगम, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद् एवं कपाली नगर परिषद् योजना के Opex मद में 40% का व्यय अपने संसाधनों से करेंगे |
11. राज्य योजना के सुसंगत मद से कुल राशि **रु० 27452.19 लाख (दो सौ चौहत्तर करोड़ बावन लाख उन्नीस हजार)** मात्र दिया जाना है |
12. JUIDCO द्वारा बनाये गए RFP को विभाग से अनुमोदित किया जायेगा |
13. उक्त योजना हेतु नोडल निकाय आदित्यपुर नगर निगम होगा |
14. योजना का कार्यान्वयन स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत किया जायेगा |
15. योजना पर कार्य करने हेतु Concessionaire का चयन हेतु PPP मोड पर निविदा द्वारा की जाएगी| चयनित concessionaire द्वारा 20 वर्षों तक door to door waste collection, storage, transportation, processing एवं disposal facility का कार्य किया जायेगा |
16. Door to door waste collection, Storage एवं Transfer हेतु संयंत्र एवं वाहनों का क्रय निकाय SUDA द्वारा निर्धारित Rate Contract के माध्यम से करेंगे अथवा आवश्यकता पड़ने पर निकाय टेंडर के माध्यम क्रय करेंगे |
17. उपर्युक्त विवरणी के परिप्रेक्ष्य में:

    आदित्यपुर नगर निगम, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद् एवं कपाली नगर परिषद् अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लोक-निजी भागीदारी

की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि रु०135505.28 लाख (एक हज़ार तीन सौ पचपन करोड़ पाँच लाख अट्ठाइस हज़ार) मात्र एवं SBM के केंद्र मद से रु० 2859.64 लाख (अट्ठाईस करोड़ उन्सठ लाख चौसठ हज़ार) मात्र तथा राज्य योजना मद से 20 वर्षों में कुल राशि रु०27452.19 लाख (दो सौ चौहत्तर करोड़ बावन लाख उन्नीस हजार) मात्र अर्थात कुल रु० 30311.83 लाख (तीन सौ तीन करोड़ ग्यारह लाख तिरासी हजार) मात्र निकाय को 20 वर्षों में अनुदान देने एवं योजना के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

18. उपर्युक्त प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 01.03.2019 को संपन्न बैठक में मद संख्या -29 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है |

झारखण्ड राज्य के राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव |

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 249 -- 50